



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20062026-273668
CG-MH-E-20062026-273668

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3120]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3120]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 3243(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिला में "मनमाड-जलगाव 4th लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) यू.टी.पी.एच, जलगांव महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में विशेष रेल परियोजना "मनमाड-जलगाव 4th लाइन" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क.	भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का जमीनधारकाचे नाव	गट नंबर	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	04/26	भोरटेक बु.	भडगाव	रेखाबाई विक्रम निकम व इतर 4	61/1/ब		1.06	0.18
2				रविंद्र दयाराम निकम	61/1/अ		0.45	0.05
3				रविंद्र दयाराम निकम	61/2		0.88	0.095
4				स्वप्निल रविंद्र निकम	61/2/2/ब		0.81	0.14
				रविंद्र दयाराम निकम	57		1.54	0.02
5				संगिता रविंद्र निकम	55/3		0.81	0.32
6				सुधीर वसंत पवार	55/3		0.80	0.207
7				निर्मलाबाई धर्मराज पवार	55/1 55/2 55/4		4.17	0.1165
8				कमळाबाई पिरान पवार	55/5		1.31	0.3653
9				भास्कर नामदेव पवार व इतर	42/2/अ		5.65	0.005
10				पितांबर दोधा पाटील	41/1		1.05	0.077
11				शेषराव दोधा पाटील	41/2		1.05	0.005
12				देवकाबाई कौतिक धनगर व इतर	39/1		0.30	0.01
13				अर्जुन नामदेव धनगर	39/2		0.26	0.015
14	शिवाजी नामदेव धनगर	39/3		0.26	0.023			

अ. क.	भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक	गावाचे नाव	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का जमीनधारकाचे नाव	गट नंबर	जमीन धारणा प्रणाली	७/१२ नुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
15				विठाबाई संतोष धनगर व इतर 3	39/4		0.27	0.04
16				रघुनाथ मल्हारी महाजन	38/1/अ		0.78	0.02
						कुल	21.45 (हे.आर.)	1.6888 (हे.आर.)
1	05/26	पासडी	भडगाव	गंगुबाई धुडकु पाटील व इतर 5	59/1 59/2		5.98	0.490
2				सुरेश बंडु जगताप यांचे हिश्याचे 0.30 पैकी संपादन	56/1 पै		1.51	0.028
3				धुपदाबाई माणिक पाटील व इतर 6	46/2		1.58	0.115
4				निंबा रामा पाटील	46/1		1.59	0.295
5				अर्जुन दामु चावरे	41/2		0.45	0.104
				प्रविण दामु चावरे	41/2		0.45	0.075
6				प्रकाश हिम्मत पाटील	41/1/अ/1 पै		0.36	0.160
7				आधार कौतिक पाटील	39/3		0.40	0.045
8				आधार कौतिक पाटील	145/2 145/1		6.47	1.100
						कुल	18.79 (हे.आर.)	2.412 (हे.आर.)
						कुल योग	40.24 (हे.आर.)	4.1008 (हे.आर.)

[फा.सं. G197/MMR-JL 4th Line/Bhortek & Pasardi Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th June, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3243(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway

Project, namely “**Manmad-Jalgaon 4th Line**” in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (1) UTPH, Jalgaon** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project of “**Manmad-Jalgaon 4th Line**” in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village Name	Taluka	Name of Occupant/Landholder as per 7/12 Extract	Gat No.	Land Tenure System	Total Area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	04/26	Bhortek Budruk	Bhadgaon	Rekhabai Vikram Nikam & Others 4	61/1/B	I	1.06	0.18
2				Ravindra Dayaram Nikam	61/1/A	I	0.45	0.05
3				Ravindra Dayaram Nikam	61/2	I	0.88	0.095
4				Swapnil Ravindra Nikam	61/2/2/B	I	0.81	0.14
				Ravindra Dayaram Nikam	57	I	1.54	0.02
5				Sangita Ravindra Nikam	55/3	I	0.81	0.32
6				Sudhir Vasant Pawar	55/3	I	0.80	0.207
7				Nirmalabai Dharamraj Pawar	55/1 55/2 55/4	I	4.17	0.1165
8				Kamalabai Piran Pawar	55/5	I	1.31	0.3653
9				Bhaskar Namdev Pawar & Others	42/2/A	I	5.65	0.005
10				Pitambar Dodha Patil	41/1	I	1.05	0.077
11				Sheshrao Dodha Patil	41/2	I	1.05	0.005
12				Devkabai Kautik Dhangar & Others	39/1	I	0.30	0.01
13				Arjun Namdev Dhangar	39/2	I	0.26	0.015
14				Shivaji Namdev Dhangar	39/3	I	0.26	0.023
15				Vithabai Santosh Dhangar & Others 3	39/4	I	0.27	0.04
16	Raghunath Malhari Mahajan	38/1/A	I	0.78	0.02			
						Total	21.45 (Ha.)	1.6888 (Ha.)

1	05/26	Pasardi	Bhadgaon	Gangubai Dhudku Patil & Others 5	59/1 59/2	I	5.98	0.490
2				Mutation of the 0.30 Share of Suresh Bandu Jagtap	56/1 out of	I	1.51	0.028
3				Dhrupadabai Manik Patil & Others 6	46/2	I	1.58	0.115
4				Nimba Rama Patil	46/1	I	1.59	0.295
5				Arjun Damu Chavare	41/2	I	0.45	0.104
				Pravin Damu Chavare	41/2	I	0.45	0.075
6				Prakash Himmat Patil	41/1/A/1 out of	I	0.36	0.160
7				Aadhar Kautik Patil	39/3	I	0.40	0.045
8	Aadhar Kautik Patil	145/2 145/1	I	6.47	1.100			
						Total	18.79 (Ha.)	2.412 (Ha.)
						Grand Total	40.24 (Ha.)	4.1008 (Ha.)

[F. No. G197/MMR-JL 4th Line/Bhortek & Pasardi Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)